भारत सरकार

श्रम और रोजगार मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 2215

सोमवार, 24 दिसम्बर, 2018/3 पौष, 1940 (शक)

घरेलू कामगारों की कार्य दशाएं

2215. श्री आर ध्रुवनारायण:
श्री विनसेंट एच. पाला:

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश में घरेलू कामगारों हेतु न्यूनतम मजदूरी तय की है/करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार ने देश के घरेलू कामगारों की कार्यदशाओं को विनियमित करने के लिए कोई कदम उठाए हैं/उठाए जाने प्रस्तावित हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री संतोष कुमार गंगवार)

(क) से (ङ): घरेलू कामगारों के लिए राष्ट्रीय नीति के संबंध में चर्चा चल रही है, जिनमें से प्रमुख विशेषताएं निम्नानुसार हैं:

i. मौजूदा विधानों में घरेलू कामगारों का समावेश।
ii. घरेलू कामगारों का पंजीकरण।
iii. स्वयं का संघ/परिसंघ बनाने का अधिकार।
iv. न्यूनतम मजदूरी, सामाजिक सुरक्षा तक पहुंच, दुर्व्यवहार, उत्पीड़न, हिंसा से सुरक्षा का अधिकार।
v. अपने कौशल को बढ़ाने का अधिकार।
vi. दुर्व्यवहार और शोषण से घरेलू कामगारों की सुरक्षा।
vii. शिकायतों के समाधान हेतु घरेलू कामगारों को न्यायालय, अधिकरण आदि तक पहुंच।
viii. प्लेसमेंट एजेंसियों के विनियमन हेतु तंत्र की स्थापना।

- घरेलू कामगारों के लिए न्यूनतम मजदूरी को विभिन्न राज्यों में अधिसूचित किया गया है और घरेलू कार्य को विभिन्न राज्यों में अनुसूचित नियोजन के रूप में शामिल किया गया है।
- असंगठित कामगार सामाजिक सुरक्षा अधिनियम, 2008 के अंतर्गत घरेलू कार्य को 'कार्य' और घरेलू कामगार को असंगठित कामगार के रूप में पहचाना जाता है।
- घरेलू कामगारों को कार्य स्थल पर महिलाओं के शारीरिक शोषण (रोकथाम, निषेध एवं निवारण) अधिनियम, (2013) में कामगारों (कार्य स्थल के रूप में घर) की विशिष्ट श्रेणी में भी शामिल किया गया है।
- कई राज्यों में, श्रमिक संघ घरेलू कामगारों को संगठित कर रहे हैं तथा विशिष्ट रूप से घरेलू कामगारों के लिए संघ पंजीकृत किए गए हैं।

घरेलू कामगारों को व्यावसायिक रूप से सक्षम बनाने तथा उन्हें कैरियर की प्रगति में समर्थ बनाने के लिए कौशल विकास मंत्रालय के अंतर्गत घरेलू कामगार क्षेत्र कौशल परिषद स्थापित की गई है।

*****